भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3947
उत्तर देने की तारीखः 25.03.2025

सफाई कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

3947. श्री राजा राम सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सफाई कर्मचारियों की वर्तमान कार्य करने की स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या मंत्रालय का स्वच्छता कर्मचारियों, जो अधिकांशत: अनुसूचिति जाति/जनजाति समुदायों से संबंधित हैं, को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या मंत्रालय का देश में सफाई कर्मचारियों के लिए मजदूरी बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मियों के एक छोटे से समूह अर्थात सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए हैं।

(ख): राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) के अंतर्गत, यह मंत्रालय सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधान समुचित सरकारों के रूप में, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को "झाड़ू लगाने और साफ-सफाई के रोजगार" सहित अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने, समय-समय पर उनकी समीक्षा करने और उनको संशोधित करने का अधिकार देते हैं। न्यूनतम मजदूरी दरें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों के अनुसार निर्धारित और संशोधित की जाती हैं।

बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, केन्द्र सरकार प्रत्येक छह माह में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करती है, जो क, ख और ग क्षेत्रों में सभी अनुसूचित रोजगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी होता है। दिनांक 01.10.2024 से लागू नवीनतम वीडीए **संलग्नक** में दिया गया है।

<u>संलग्नक</u>

सफाई कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के संबंध में 25.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3947 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

<u>केंद्रीय हिस्से में अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्र-वार दरें (01.10.2024 की स्थिति के अनुसार)</u>

क्र.सं.	**अनुसूचित रोजगार**	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**प्रतिदिन वीडीए सहित मजदूरी की दर (रु. में)**		
			क्षेत्र क	**क्षेत्र ख**	**क्षेत्र ग**
1	झाड़ू लगाना और साफ-सफाई करना	अकुशल	783	655	526

*****